

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

**प्रॉक्सी फॉर्म (फॉर्म 'बी')**

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाए)

**रजि. फोलिओ क्र.**

(यदि डिमैटोरियलाइज्ड न हो)

**डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी**

(यदि डिमैटोरियलाइज्ड हो)

मैं/हम \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ जिले के निवासी \_\_\_\_\_ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का एक शेयरधारक होने के नाते \_\_\_\_\_ राज्य के \_\_\_\_\_ जिले के निवासी श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ अथवा उनके असफल रहने पर \_\_\_\_\_ राज्य के \_\_\_\_\_ जिले \_\_\_\_\_ के निवासी श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ को **शुक्रवार, 28 जून, 2019 को प्रातः 11 बजे रामा एंड सुंदरी वाटूमल ऑडिटरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020** में होने वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की **17वीं वार्षिक साधारण बैठक** या उसके स्थगित होने पर होने वाली बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से वोट डालने के लिए तथा उसके किसी भी स्थगन के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त करता/करते हूँ/हैं.

\_\_\_\_\_ 2019 के \_\_\_\_\_ दिन हस्ताक्षरित.

कृपया  
राजस्व  
स्टाम्प  
लगाए

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

**प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने तथा दर्ज करने के लिए निर्देश**

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत वैध नहीं होगा जब तक
  - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, इस पर उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
  - संयुक्त धारकों के मामले में, इस पर रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
  - एक निगमित निकाय के मामले में इस पर इसके अधिकारी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो.
- प्रॉक्सी लिखत पर किसी भी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना पर्याप्त होगा जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, बशर्ते उनके अंगूठे के निशान इसके साथ संलग्न है तथा इसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एशोरोरेंस के पंजीयक या उप पंजीयक अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
- निम्न के साथ प्रॉक्सी
  - मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार(यदि कोई) जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
  - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएँ प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12 वीं मंजिल, यूनियन बैंक भवन, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 के पास वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बैंक कार्यकाल समाप्ति तक या उससे पहले अर्थात शुक्रवार, 21 जून, 2019 को सायं 5.00 बजे** जमा कर दिया जाना चाहिए.
- जब तक विधिवत रूप से स्टैम्प न लगाया गया हो कोई भी प्रॉक्सी लिखत वैध नहीं होगा.
- बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
- वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में अनुमत किए गए प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
- शेयरधारक ने जिस वार्षिक साधारण बैठक से संबंधित प्रॉक्सी लिखत निष्पादित किया है उसमें वह व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए अधिकृत नहीं है.
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नहीं नियुक्त किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

## PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

|   |
|---|
| <b>Regd. Folio</b><br>(If not dematerialised)       |
| <b>DP ID &amp; Client ID</b><br>(If dematerialised) |

I/We \_\_\_\_\_ resident(s)  
of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_  
in the state of \_\_\_\_\_ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint  
Shri/Smt. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_  
in the district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ or failing him / her,  
Shri/ Smt. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the  
district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ as my / our proxy to vote  
for me / us and on my / our behalf at the **17<sup>th</sup> Annual General Meeting** of the shareholders of Union Bank of India to be held on  
**Friday, 28<sup>th</sup> June 2019 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate,  
Mumbai – 400020** and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2019.

Please  
Affix  
Revenue  
Stamp

\_\_\_\_\_  
Signature of Proxy

\_\_\_\_\_  
Signature of First named/Sole Shareholder

**Name :** \_\_\_\_\_

**Address :** \_\_\_\_\_

### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
  - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
  - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
  - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
- The proxy together with
  - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
  - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 not less than FOUR DAYS before the date of the **Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Friday, 21<sup>st</sup> June, 2019.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

